झारखंड सरकार
वित्त विभाग । 288/वि0
-::-

रांची, दिनांक 5-2-07

संकल्प

विषय :- राज्य कर्मियों के लिये सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना ।

केन्द्र सरकार की भांति राज्य सरकार के कर्मियों को भी सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना का लाभ देने हेतु वित्त विभाग का संकल्प सं0-5207/वि0,दि0 14.8.02 निर्गत है ।

2- राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त उक्त संकल्प सं0-5207/वि0, दिनांक 14.8.2002की कंडिका-3 की उप कंडिका- x एवं xI/I में निम्नरूपेण संशोधन करने का निर्णय लिया है :-

I- कंडिका-3(x) के अंश "परन्तु एकल पद एवं ऐसे पद /पद-समूह/सम्वर्ग जिसमें विशिष्ट रूप से पद-सोपान नहीं बने हुये हैं और सीधे राज्य सेवा/सम्वर्ग में कुछ प्रतिशत पद ही प्रोन्नति हेतु कर्णांकित है, उनके संबंध में सम्बद्ध मंत्रालय/विभाग द्वारा अनुसूची-। में निर्दिष्ट वेतनमान के तुरन्त बाद वाले वेतनमान में ही वित्तीय उन्नयन दिया जायेगा " को संकल्प के निर्गमन की तिथि से एतद् द्वारा विलोपित किया जाता है ।

II- कंडिका-3 (xI/I) से"कार्यभारित"शब्द को एतद् द्वारा विलोपित किया जाता है । नियमित"कार्यभारित"कर्मचारियों को ए0सी0पी0 प्रोन्नति के लिये"कार्यभारित"सेवावधि की गणना की जायेगी ।

3- वित्त विभागीय संकल्प सं0- 5207/वि0,दिनांक 14.08.2002 कंडिका के शेष सभी प्रावधान यथावत लागू रहेंगें ।

झारखंड राज्यपाल के आदेशानुसार ,

(हस्ताक्षर) 5-2-07

(एस0 एस0 तिवारी)
सरकार के उप-सचिव,वित्त विभाग,
झारखंड, रांची । 5

ज्ञाप सं0-6/एस0-06(प्रोन्नति)-01/2006

रांची, दिनांक

प्रतिलिपि- महालेखाकार,झारखंड,पो0-डिरन्डा, रांची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(हस्ताक्षर) 5-2-07

(एस0 एस0 तिवारी)
सरकार के उप-सचिव, वित्त विभाग,झा0रांची ।

कृ0पृ0 उ0